

# प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

## अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2024/139519/KPN/KANPUR NAGAR/3758/CFO  
दिनांक: 14-12-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **ARAZI NO- 706 SENPASCHIM PARA, SENPASCHIM PARA, KANPUR** तहसील - **GHATAMPUR**, प्लॉट एरिया **5736.90 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **4897.50** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BLOCK	3	0	11.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **17-12-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **DEVRAJ SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वेधता तिथि **17-12-2024** से **17-12-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** Constructed & Operational Since long, NOC is issued as per NBC-2016 norms & DGFS Circular on 14.03.24 for (G+2) FLOORS ONLY as per the Physical Site Inspection & Verification with Recommendations of FSSO Narval:

1. To Comply for Electrical Safety Audit as per F&ES Rules 2024 and send Compliance to Fire Department before 31.12.2024.
2. To Maintain Fire & Life Safety System as per the Norms Always.
3. To Comply for Bye Laws as per COMPETENT AUTHORITY & The Drawing Approval is Mandatory from the COMPETENT AUTHORITY.
4. Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation in above Conditions or any deviation in norms of COMPETENT AUTHORITY or False Inspection Report of FSSO.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(DEEPAK SHARMA)

[D294717EEDD2F2586BB24BD5D6D9135AD528C0BF]

17-12-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-12-2024  
स्थान : KANPUR NAGAR